तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रावलसिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ) सू.अ.अ. अपील संख्या 111/2020	
14.09.20	अपीलार्थी रावलसिंह पुत्र मूलसिंह पता ग्राम चौरड़िया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.06..20 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत चोरड़िया के ग्राम चोरड़िया पटवार सर्कल चोरड़िया के खसरा नम्बर 70 जमीन का कृषि से आवासीय में कन्वर्ड किस नियम से किया व कितनी राशि वसूल की गई तथा ख.नं. 70 की जमीन किस किस के नाम से की गई व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(उपखण्ड अधिकारी शेरगढ) से जरिये पत्रांक 1196 दिनांक 31.08..20 रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अनुसार लोक सूचना अधिकारी ने अपील दायर होने के पश्चात अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 1195 दिनांक 31.08.20 के सूचना प्रेषित की गई तथा दी गई सूचना की एक प्रति इस कार्यालय में भी प्रेषित की गई। चूंकि अपीलार्थी को सूचना दी जा चुकी है अतः अपील इस स्तर पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh Ind
Date: 2020.10.13 17:43:56 IST
Reason: SelfAttested